न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :— पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.

राजस्व वादपत्र संख्या :— 2025/206

01. मानकंवर पत्नि छगनसिंह जाति राजपूत निवासी रसीदपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर हाल अम्बाबाडी, जयपुर तहसील व जिला जयपुर राजस्थान।

......प्रार्थी

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला/दन्तौर ।

.... अप्रार्थी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट

निर्णय दिनांक :—05.12.25

यह प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। प्रार्थनापत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण प्रार्थनापत्र अनुसार इसप्रकार है कि प्रार्थीया के नाम से कृषि भूमि वाके तहसील खाजूवाला उप तहसील दन्तौर का चक 5 पी.आर.एम. का मुरब्बा नं. 37/54 के किला नं. 1 ता 25 में कुल 6.1960 है0 जरिये बैयनामा खरीदषुदा है। प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड का ऑनलाईन करते समय मानकंवर की जगह भान कंवर दर्ज हो गया है जबकि प्रार्थीया का सही नाम मानकंवर है। प्रार्थीया के समस्त दस्तावेजो आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पास बुक आदि में प्रार्थीया का सही नाम मानकंवर है। केवल राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम मानकंवर की जगह भान कंवर लिखा गया है जो कि काबिले दुरूस्ती है। उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम मानकंवर की जगह भान कंवर दर्ज होने से प्रार्थीया को काफी कठिनाईयों व परेषानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिससे प्रार्थीया को अपूर्तनीया क्षति हो रही है। जिसका आंकलन रूपयों—पैसो में नहीं किया जा सकता है। जिसे प्रार्थीया जरिये प्रार्थना पत्र दुरूस्ती करवाना चाहती है जो कि अधिनस्थ न्यायालय दुरूस्त किये जाने योग्य है। मामला काबिले दुरूस्ती के है व प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में पूर्ण कोर्ट फीस पर पेष है। अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. के तहत पेष कर श्रीमानजी से अर्ज है कि उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम भानकंवर की जगह मान कंवर दुरूस्त किये जाने का आदेष फरमावें।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थीया ने प्रार्थनापत्र साबित करने के पक्ष में आधारकार्ड, जमाबंदी, पेन कार्ड, बैंक डायरी इत्यादि की प्रति व स्वयं का शपथपत्र प्रस्तुत किया। पत्रावली पर सुना गया। प्रार्थीया अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र साक्ष्य—सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर धारा 136 एलआरएक्ट में प्रदत प्रावधानों/शक्तियों का प्रयोग करते हुवे प्रार्थनापत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं चक नं. 5 पी.आर.एम. का मुरब्बा नं. 37/54 के किला नं. 1 ता 25 में कुल 6.1960 है0 अनकमाण्ड कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम भानकंवर की जगह मान कंवर संशोधन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाता है। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। यदि किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच भानकंवर नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का भानकंवर नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थीया का नाम भानकंवर ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थीया स्वयं जिम्मेदार होगी। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 05.12.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पकंज गढ़वाल),

(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)